भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3802

16 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: पीएमएफबीवाई के लाभार्थी

3802. श्री नायब सिंह सैनीः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समग्र रूप से हरियाणा और विशेषकर कुरुक्षेत्र जिले में लाभान्वित लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत अधिकतम लोगों को शामिल करने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (च): वर्ष 2018-19 के दौरान, देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत रियायती प्रीमियम दरों पर लगभग 561 लाख किसान आवेदकों को कवर किया गया जिसमें से लगभग 85 लाख किसानों को अपनी बीमित फसल के नुकसान के कारण बीमा दावा मिला।

इसी प्रकार, हरियाणा में इसी अवधि के दौरान पीएमएफबीवाई के तहत 14.93 लाख किसानों के आवेदन कवर किए गए और 9.68 लाख पात्र बीमित किसानों को बीमा दावा मिला। खरीफ 2018 के लिए कुछ फसलों/ क्षेत्रों के दावे और रबी 2018-19 की लगभग सभी फसलों/क्षेत्रों के दावे संबंधित बीमा कंपनियों द्वारा रिपोर्ट नहीं किए गए हैं।

इस अवधि के दौरान कुरुक्षेत्र जिले में पीएमएफबीवाई के तहत 62,732 किसान आवेदक कवर किए गए हैं और 21,791 पात्र बीमित किसानों को स्वीकार्य दावे मिले हैं।

सरकार का प्रयास है कि देश में सकल फसली क्षेत्र (जीसीए) का कम से कम 50% तक कवरेज बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार द्वारा योजना के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गये हैं जैसे इस योजना के तहत अधिक से अधिक फसलों और क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को राजी करने, किसानों के लिए प्रीमियम की कम दर, राज्यों सहित हितधारकों को तकनीकी सहायता, प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए राज्यों को 50% सहायता और वृद्धिशील फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) का आयोजन, गैर-ऋणी किसानों के कवरेज के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी) की सेवाएं आदि।

*****